न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 132 / 2022

1. लीलाराम पुत्र स्व0 गणपत, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0 मो0न0 9672992450
2. पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0।
3. मुन्नी पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी धर्मेन्द्र, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0 हाल निवासी निहालावास, जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा।
4. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0।

—— आवेदक

बनाम

1. कृष्णा पुत्री रामेश्वर पत्नी धर्मपाल, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल निवासी शिमला तन मेहाडा जाटुवास तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0।
2. बनवारी पुत्र स्व0 मनभर, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0।
3. ब्रहमा देवी पत्नी रामेश्वर, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0।
4. बलबीर पुत्र स्व0 मनभर, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0।
5. राजबाला पुत्री रामेश्वर, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0 हाल मालडा महेन्द्रगढ हरियाणा।
6. सुमीत्रा पुत्री स्व0 रामेश्वर, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0 महेन्द्रगढ हरियाणा।
7. रतिराम पुत्र स्व0 रामस्वरूप, जाति अहीर, निवासी निहालोठ, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. लिलाधर पुत्र स्व0 रामस्वरूप, जाति अहीर, निवासी निहालोठ, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0।
9. सहीराम पुत्र स्व0 रामस्वरूप, जाति अहीर, निवासी निहालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0।
10. रामरति पुत्री स्व0 रामस्वरूप, जाति अहीर, निवासी निहालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0।
11. इन्द्रा पुत्री स्व0 रामस्वरूप, जाति अहीर, निवासी निहालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0।
12. सरोज पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी करण सिंह, जाति [illegible] निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल कोवरियावास, [illegible]
13. राज सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0
14. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, बुहाना, जिला झुंझुनूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:57 IST
Reason: SelfAttested

—— अनावेदक

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

—————

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बुहाना उनवानी दावा लीलाराम बनाम कृष्णा वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ति रेकार्ड व चिर स्थाई आज्ञापक व्यादेश मु0न0 132/2021 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 177/2021 तारीख पेशी 22.04.2022

—————

उपस्थितः—

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अभिभाषक— आवेदकगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बागोरिया, अभिभाषक — अनावेदक सं0 1 लगायत 11 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक संख्या 13 व 14 की ओर से उपस्थित।
4. अनावेदक सं0 12 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 18.07.2022

आवेदकगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रकरण नीचे लिखे अनुसार पेश है कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी दावा व दावा के साथे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी महोदय बुहाना के समक्ष पेश किया था कि ग्राम रायपुर अहीरान में नानग नाम का ऐक व्यक्ति हुआ था जिसकी मृत्यु काफी समय पूर्व हो चुकी है उक्त स्व0 नानग के दो पुत्र सन्तान गोपाल व हुणताराम नाम के लडके हुये थे जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है उक्त स्व0 हुणताराम के कोई पुत्र सन्तान नही थी, केवल दो लडकियां थी जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है तथा स्व0 गोपाल के एक पुत्र सन्तान मौजीराम हुआ था। मोजीराम व उसकी पत्नि की भी मृत्यु हो चुकी है। मौजीराम के एक पुत्र सन्तान गणपतराम हुआ था। गणपतराम की भी मृत्यु हो चुकी है। स्व0 गणपतराम के वादी सं0 1 लीलाराम तथा जगदीश दो पुत्र हुये थे स्व0 जगदीश की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिस वादी सं0 2 लगायत 4 व प्रतिवादिया सं0 12 है शेष प्रतिवादीगण का वादी के पूर्वजो के वंश वृक्ष से कोई लेना देना नही है। स्व0 नानग पुत्र स्व0 गोपाल व हुणता के खातेदारी का एक बाडा रकबा 0.08 है0 जिसके पुराना ख0न0 307 बाद में उक्त बाडा के दो मीन ख0न0 307/1 व 307/2 पडे वर्तमान ख0न0 477 है। उक्त बाडा पर पूर्व में वादीगण का पूर्वज काबिज थे, जो उक्त बाडा को रिहायश व पशु वगैरह रखने के काम में लेतें थे तथा वर्तमान में वादीगण काबिज है तथा उक्त बाडा के दो तरफ उत्तर व दक्षिण की तरफ बाउण्ड्रीवाल कर रखी है तथा बाडा के सटते पश्चिम दिशा में वादी सं0 1 का रिहायशी मकान है वादी के अपने घर में आना जाना इसी बाडा से करता है, बाडे के सटते पूर्व दिशा में आम रास्ता है। उक्त बाडा में वादीगण अपने हिस्से अनुसार पशु वगैरह बांधते है तथा काबिज है। उक्त बाडा में वादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा तथा वादी सं0 2 लगा 4 व प्रतिवादिया सं0 12 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। स्व0 हुणताराम के कोई पुत्र सन्तान नही होने व लडकियों की शादी कर देने के बाद स्व0 [illegible] था तथा शामिल में ही निवास करते थे तथा स्व0 हुणताराम के लडकियों की शादी विवाह [illegible] ने ही किये थे तथा स्व0 मोजीराम की मृत्यु के बाद स्व0 हुणताराम की पुत्रियों [illegible] दायित्व गणपतराम ने ही किये थे तथा गणपतराम ने ही हुणताराम [illegible] में सेवा की थी तथा हुणताराम ने अपने जीवन काल में ही बाडा के अपने हक का [illegible] के हक में कर दिया था स्व0 हुणताराम उर्फ हुणताराम की मृत्यु पर पिण्डदान व अन्य सामाजिक दायित्व भी गणपतराम ने किये थे इस कारण वादग्रस्त बाडा वादी के पूर्वज गणपतराम के कब्जे का रहा है। वादी सं0 2 लगा0 4 व प्रतिवादिया सं0 12 जो वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

सं0 1 के सगे भाई जगदीश के वारिसान है का उक्त बाडा में 1/2 वां हिस्सा है तथा 1/2 वां हिस्सा वादी सं0 1 का है तथा वादीगण काफी सालो से अपने पूर्वजो के समय से ही उक्त बाडा पर काबिज है। रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज रामस्वरूप पुत्र मनभर की मृत्यु हो चुकी है उनके वारीसान का रेकार्ड मे नाम दर्ज नही है परन्तु दावा में पक्षकार से सम्बन्धित नुक्स ना रहे इस कारण स्व0 रामस्वरूप के विधिक वारिसान को प्रतिवादी सं0 7 लगा0 11 बनाये है। प्रतिवादी सं0 1 लगा 11 का उक्त बाडा से कोई लेना देना नही है मिसल हकीयत मोजा रायपुर अहीरान ठिकाना डून्डलोद निजामत शेखावाटी राज सवाई जयपुर संवत् 1999 में बनी जिसमें ख0न0 307 वादीगण के पूर्वज हणुता वल्द नानग व गणपत वल्द मोजी के नाम से हिस्सा बराबर दर्ज है सम्वत 2013 से 2016 की गिरदावरी में प्रतिवादी सं0 5 लगा 10 के पूर्वज का कोई इन्द्राज नही है उक्त गिरदावरी में केवल हणुता व गणपत का ही नाम दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2012 ग्राम रायपुर अहीरान तहसील खेतडी में भी ख0न0 307 पुराना मे कृषक के कॉलम मे हनूता वल्द नानगराम ही दर्ज है तथा रामनारायण वल्द धनसी गलत दर्ज है गणपत वल्द मोजी दर्ज है तथा लेखुडा वल्द गोपाल दर्ज है जबकि लेखुडा वल्द गोपाल नाम के व्यक्ति से उक्त भूमि का कोई लेना देना नही है वास्तव में मोजी वल्द गोपाल दर्ज होने के बजाये लेखुडा वल्द गोपाल दर्ज हो गया। बाद की जमाबन्दियों में उक्त का नाम नही आया। सम्वत् 2030 से 2033 की जमाबन्दी में बिना किसी अन्तरण के वादीगण के पूर्वजो के उक्त बाडा में मनभर पुत्र रूडा दर्ज कर दिया, वही गलत नाम आज तक चला आ रहा है उक्त मनभर के वारीसान का उक्त बाडा से कोई लेना देना नही है मृतक रामस्वरूप के वारिसान का व मनभर के वारीसान का कोई लेना देना किसी प्रकार का उक्त बाडा से नही रहा है स्व0 रामस्वरूप के वारिसान निहालोठ में निवास करते है रायपुर अहीरान में उक्त का कोई लेना देना नही है। परन्तु रेवेन्यू कर्मचारियो की भूल वश बाद मे गलती से उक्त के पूर्वज का नाम गिरदावरी व जमाबन्दी में दर्ज हो गया जो वर्तमान तक चला आ रहा है। तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण 1 लगा 11 अपने नाम से बने गलत रेकार्ड की आड में वादी के कब्जे व अधिकार के उक्त बाडा में आये दिन नाजायज दखलन्दाजी करते है तथा कचरा डालने का प्रयास करते है व कब्जा करने का प्रयास करते है दिनांक 19.08.2021 को प्रतिवादीगण 1 लगा 6 एकराय होकर वादी के कब्जे व अधिकार के उक्त बाडा में आकर जबरन कब्जा करने की नीयत से खाद व घर का कचरा डालने लगे तो प्रतिवादीगण नाराज होकर वादी के साथ गाली गलोज करने लगे व कहने लगे कि बाडा के रेवेन्यू रिकार्ड में हमारा नाम है हम कब्जा करके रहेगे। और उक्त अनुसार रेकार्ड दुरूस्ति व स्थाई निषेधाज्ञा की इस्त दुआ के साथ दावा तथा दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया था। उक्त दावा से पूर्व एक दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वादी सं0 1 ने मीना वगैरह के खिलाफ प्रस्तुत किया था जिसके मुन्तकिली का प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी द्वारा अदालत श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया था जिसके तथ्य नीचे लिखे अनुसार है कि तहसील बुहाना के रायपुर अहीरान ग्राम में भूमि ख0न0 1089 रकबा 0.61 है0 तथ ख0न0 1090 रकबा 0.67 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.28 है वादी/प्रार्थी के पिता स्व0 गणपतराम के खातेदारी काश्त की थी तथा उक्त ख0न0 के पुराना ख0न0 736 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा थे। [illegible] न0 के बीच0 में कोई सीमा नही है। और वादी/प्रार्थी उनको काश्त करता है परन्तु [illegible] से ख0न0 735 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा को प्रार्थी के कुटुम्ब के ही ऐक व्यक्ति [illegible]रायण पुत्र धनस[illegible] नाम से दर्ज कर दिया गया जबकि ख0न0 735 गत से कोई नया ख0न0 नही ब[illegible] [illegible] व घोषणा के लिये आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गई दावा की प्रमाणित प्रति में दर्ज अनुसार प्र[illegible] ने रेकार्ड दुरूस्ति का दावा व उसके साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मु0नं0 114/2019 अनावेदकगण मीना वगैरह को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के लिये दिनांक 17.05.2019 को प्रस्तुत किया व आवेदक की ओर से ऐक्सपार्टी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

स्थगन के लिये निवेदन किया परन्तु अदालत मातहत ने स्थगन की प्रार्थना स्वीकार नही कि व प्रकरण में तलबी के लिये आगामी तारीख पेशी 17.09.2019 नियमत कर दी। अनावेदकगण मीना वगैरह 1 लगा 3 प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण पीठासीन अधिकारी महोदय को अपने असर में ले लिया तथा पीठासीन अधिकारी भी अनावेदकगण मीना वगैरह 1 लगा0 3 की राजनैतिक पहुंच व अन्य असम्यक असर में आ गये। प्रार्थी शिक्षा विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है तथा सीधा शादा व्यक्ति है जो कानून व न्यायालय पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी महोदय प्रतिवादीगण मीना वगैरह के असर में आकर दिनांक 17.09.2019 में कांट छांट कर प्रकरण को नियत तारीख से पूर्व ही 12.09.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र व जवाबदावा लेकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 114/2019 का फैसला प्रार्थी को बिना सुने ही कर प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया तथा प्रकरण दावा में प्रतिवादीगण मीना वगैरह की ओर से उपस्थित वकील का या जवाब का कोई हवाला नही दिया। श्रीमान जी दावा सं0 145/2019 लीलाराम वगै बनाम मीना वगैरह में दिनांक 12.09.2019 व दिनांक 17.05.2019 की आदेशिका का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि दिनांक 17.05.2019 की आदेशिका में तारीख में कांट छांट कर रखी है तथा दिनांक 12.09.2019 की आदेशिका का अवलोकन करेंगे तो पायेंगे की दिनांक 12.09.2019 की आदेशिका तलबी में नियत है उक्त तारीख पेशी में प्रतिवादीगण मीना वगैरह के जवाब का कोई हवाला नही है ओर ना ही किसी अधिवक्ता की उपस्थिति है जबकि पत्रावली में मीना वगैरह 1 लगा 3 का जवाब शामिल है जवाब पर भी कोई तारीख अंकित नही है इस प्रकार से गलत प्रक्रिया अपना कर पीठासीन अधिकारी ने अनावेदकगण मीना वगैरह को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से अनुचित प्रकिया अपनाई है। उक्त प्रकार से अनुचित प्रक्रिया अपना कर की गई कार्यवाही के विरूद्ध अपनी शिकायत लेकर प्रार्थी अपने अधिवक्ता के साथ पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हुआ तो श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अदालत मातहत ने प्रार्थी की एक नही सुनी व कहा कि मैने तो फैसला कर दिया है आपके समझ आये वो करो तथा प्रतिवादीगण मीना वगैरह ने भी कहा कि बुहाना में कोई भी पीठासीन अधिकारी आये वो हमारे कहने के अनुसार ही कार्य करेगा हमारी उंची पहुंच है। तब प्रार्थी ने नकल लेकर मु0न0 114/2019 में दिये गये निर्णय की अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की वह अपील दिनांक 06.09.2021को मु0न0 75/2019 स्वीकार हुई तथा अनावेदकगण मीना वगैरह को अपील अधिकारी ने जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया अनावेदकगण मीना वगैरह अजमेर रेवेन्यू बार्ड में भी उक्त आर्डर के खिलाफ गये परन्तु वहां से भी अनावेदकगण मीना वगैरह को काई राहत नही मिली है। इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी महोदय, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना प्रिज्यूडिस है। तथा प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी बुहाना से न्याय की उम्मीद नही है। उसके बाद प्रार्थी ने मौजूदा दावा दावा लीलाराम बनाम कृष्णा मु0न0 132/2021 व दावा के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 177/2021 प्रस्तुत किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये निवेदन किया तो पीठासीन अधिकारी महोदय भडक गये व प्रार्थी को न्यायालय से बाहर निकाल दिया व प्रकरण में लम्बी तारीख नियत कर दी। उक्त प्रकरण के अ[illegible] बलबीर ने प्रार्थी के खिलाफ एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया जिस पर प्रार्थी के खिलाफ एक परिवाद अ0 धारा 107 [illegible] 151 जा0फौ0 का अदालत मातहत के समक्ष पेश किया जिसकी निगरानी प्रा[illegible] खेतडी में की जो दर्ज रजिस्टर कर मिसल तलब कर ली गई प्रार्थी ने निगरानी की [illegible]का भी अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी उसके [illegible] मातहत ने पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के खिलाफ गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिया। इस प्रकार से पीठा[illegible] अधिकारी महोदय प्रार्थी के साथ न्याय नही कर रहे है तथा प्रिज्युडिस है प्रार्थी को अदालत श्रीमान जी के पीठासीन अधिकारी सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड दण्डनायक बुहाना से न्याय की उम्मीद नही है इस कारण से प्रार्थी की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:57 IST
Reason: SelfAttested

से प्रस्तुत उक्त प्रकरण विधिनुसार निस्तारण के लिये अन्य उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पत्रावली मुन्तकिल फरमाई जानी न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिली प्रकरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण सं0 132/2021 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 177/2021 उनवानी लीलाराम बनाम मीना देवी का अन्य सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहुलियत के हिसाब से न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ठीक पडता है प्रकरण को उक्त अदालत मे अन्तरिम कर दिया जाता है तो प्रार्थी को सुविधा रहेगी ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके प्रार्थी की अदालत श्रीमान जी से यही विनम्र प्रार्थना है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना ने पत्रांक 173 दिनांक 31.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 अस्वीकार है। आवेदकगण स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का खण्ड 7 स्वीकार है। खण्ड 8 (1)(2)(3)(4) यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 7(1), आंशिक स्वीकार है। यह सही है कि आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में मुकदमा नम्बर 132/2021 दावा बाबत घोषणत्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व प्रार्थना–पत्र संख्या 177/2021 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 आरटी एक्ट पेश किया गया। किन्तु यह सरासर गलत है कि प्रकरण आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.05.2019 कर दिया गई जबकि उक्त प्रकरण दिनांक 08.09.2021 को ही पेश हुआ है। हां यह सही है कि आवेदकगण द्वारा एक अन्य प्रकरण दावा संख्या 145/2019 बउनवानी लीलाराम बनाम मीना आदि एवं प्रार्थना पत्र संख्या 114/2019 बउनवानी लीलाराम बनाम मीना आदि दिनांक 13.08.2019 को पेश किया गया था। जब आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2019 को ही पेश किया गया था तो आदेशिका में कांट छांट कर दिनांक 17.05.2019 पेशी नियत की जा सकती थी। प्रकरण दिनांक 13.08.2019 दर्ज रजिस्टर किया जाकर तामील हेतु दिनांक 12.09.2019 ही नियत की गई थी। प्रार्थना पत्र में कुल तीन अप्रार्थीगण पक्षकार है। तीनो की ओर से दिनांक 12.09.2019 को जबाव प्रस्तुत कर उभय पक्षकारान द्वारा बहस हेतु निवेदन किया गया है। विधिसम्वत बहस सुन कर ही प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण किया गया। इसमें न्यायालय द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। न्यायालय द्वारा तारीख पेशी में किसी प्रकार की कोई कांट छांट नही की गई है। यह कि प्रार्थना पत्र कतई बेबुनियादी, आधारहीन होने से स्वीकार नही हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का आपसी मामला है। स्वयं साक्ष्य पेश करे। शेष भाग में अंकित तथ्य आधारहीन हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रकरण में निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। अतः प्रार्थन पत्र जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अंकित तथ्य आधारहीन है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रकरण में निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। फिर भी यदि न्यायालय श्रीमानजी उचित समझते है तो प्रकरण को स्थानान्तरण करते है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अनावेदकगण 1 लगा 3 प्रभावशाली व्यक्ति है तथा पीठासीन अधिकारी महोदय को अपने असर में ले लिया तथा पीठासीन अधिकारी भी अनावेदकगण 1 लगा 3 की राजनैतिक

जिला कलक्टर

पहुंच व अन्य असम्यक असर में आ गये। प्राथी शिक्षा विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है तथा सीधा सादा व्यक्ति है जो कानून व न्यायालय पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी महोदय प्रतिवादीगण 1 लगा 3 के असर में आकर दिनांक 17.09.2019 में कांट छांट कर प्रकरण को नियत तारीख से पूर्व ही 12.09.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र व जवाबदावा लेकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 114/2019 का फैसला प्रार्थी को बिना सुने ही कर प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया तथा प्रकरण दावा में प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित वकील का या जवाब का कोई हवाला नही दिया। श्रीमान जी दिनांक 12.09.2019 व दिनांक 17.05.2019 की आदेशिका का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे की दिनांक 17.05.2019 की आदेशिका मे तारीख में कांट छांट कर रखी है तथा दिनांक 12.09.2019 की आदेशिका तलबी में नियत है उक्त तारीख पेशी में प्रतिवादीगण के जवाब का कोई हवाला नही है ओर ना ही किसी अधिवक्ता की उपस्थिति है जबकि पत्रावली में 1 लगा 3 का जवाब शामिल है जवाब पर भी कोई तारीख अंकित नही है इस प्रकार से गलत प्रकिया अपना कर पीठासीन अधिकारी ने अनावेदकगण 1 लगा 3 को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से अनुचित प्रकिया अपनाई है। पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना प्रिज्यूडिस है तथा प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी बुहाना से न्याय की उम्मीद नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिली प्रकरण स्वीकार किया जाकर उनवानी दावा लीलाराम बनाम कृष्णा वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ति रेकार्ड व चिर स्थाई आज्ञापक व्यादेश मु0न0 132/2021 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 177/2021 का अन्य सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहुलियत के हिसाब से न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मे उक्त प्रकरण को अन्तरित किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 ने वकील प्रार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत मे नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। फिर भी यदि उनवानी दावा लीलाराम बनाम कृष्णा वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ति रेकार्ड व चिर स्थाई आज्ञापक व्यादेश मु0न0 132/2021 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 177/2021 को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। परन्तु वकील प्रार्थी के कथनानुसार उक्त प्रकरण को सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मे अन्तरित न किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी मे अन्तरित किया जावे क्योंकि उक्त प्रकरण मे महिलायें पक्षकार है एवं उदयपुरवाटी की दूरी भी अधिक है।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थीगण सं0 13 व 14 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुकदमा अन्तरण हेतु कोई ठोस कारण व आधार नही बताया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:57 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] किया तथा उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी [illegible] प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। प[illegible]ले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उनवानी दावा लीलाराम बनाम कृष्णा वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ति

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

रेकार्ड व चिर स्थाई आज्ञापक व्यादेश मु0न0 132/2021 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 177/2021 उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी खेतडी के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बुहाना उनवानी दावा लीलाराम बनाम कृष्णा वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ति रेकार्ड व चिर स्थाई आज्ञापक व्यादेश मु0न0 132/2021 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 177/2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी खेतडी के न्यायालय में दिनांक 18.08.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:57 IST
Reason: SelfAttested